सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्याः– 702 / रा0नि0आ0–3 / 1379 / 2024 दिनांक 07 सितम्बर, 2026

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–429148 / IV(3)/2026-11 (03निर्वा0) / 2024 दिनांक 07 सितम्बर, 2026 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य की **नगर पालिका परिषद्, किच्छा एवं नगर पालिका परिषद्, सिरौलीकलां जनपद ऊधमसिंहनगर** के **अध्यक्षों** तथा उनके **सदस्यों** का निर्वाचन निम्नलिखित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यह निर्वाचन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1327 / 2025 (एम0एस0), मौ0 रफीक बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या–176 / 2024 (पी0आई0एल0) मौ0 यासीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं रिट याचिका संख्या–20 / 2024 (एम0बी0) नईमुलशान खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
10 सितम्बर, 2026 से 11 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न) 05:00 बजे तक)	12 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	14 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	22 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	24 सितम्बर, 2026 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकायों के पद / स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 08 सितम्बर, 2026** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा सूचना की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

क्रमश..........2

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

मतगणना संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री **दिनांक 08 सितम्बर, 2026** से संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये उक्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः– 702/रा0नि0आ0–3/1379/2024 तद्दिनांक।(मेल)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु उक्त नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस **दिनांक 22 सितम्बर, 2026** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
8. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
12. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), ऊधमसिंहनगर।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर।

क्रमश..........3

14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को **दिनांक 07 सितम्बर, 2026** के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।